राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1498/2024

नवीन प्रकाश जैन –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2024
आदेश की दिनांक : 12.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसपुर, डूंगरपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसपुर से आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर लगा दिया गया। राजस्थान सेवा नियम, 1951 का नियम 7(8) (b) (iii) में आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के संबंध में नियम बने हुए है। उक्त नियमों के नियम 25–क के अनुसार यदि एक कर्मचारी राज्य कर्मचारी को नियम 7(8) (b) (iii) के अन्तर्गत पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तो उक्त कर्मचारी को अपने पुराने पद पर देय वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई आधार अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने का नहीं है जो राजस्थान सेवा नियम 7 (8) (b) (iii) में दर्शाया गया है। जिन आधारों पर कर्मचारी/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जा सकता है उसका स्पष्ट विवरण उपरोक्त नियमों में वर्णित है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने का जो आदेश है वह बिना किसी आधार के है और नियमों के विरूद्ध है। माननीय अधिकरण

ने भी अपील संख्या 4265/2021 रायसिंह मौजावत बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा सेवा नियम 1951 के नियम 25क के प्रावधानों के विपरीत आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने के आदेश को अनुचित व अवैध मानते हुए स्थगन जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 25क के विपरीत पारित आदेश को अनुचित व अवैध माना है (अनुलग्नक–3)। आदेश दिनांक 19.03.2024 (अपील में 15.03.2024 अंकित) स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है जबकि प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र अनुसार स्थानान्तरण पर प्रतिबंध अवधि में कर्मचारियों के स्थानान्तरण मा. मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से किये जा सकते है। उक्त आदेश में मा. मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति का कहीं कोई अंकन नहीं किया गया है। माननीय अधिकरण ने स्थानान्तरण पर प्रतिबंध अवधि में किये आदेश को अनुचित व अवैध मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की जन्म तिथि 30.06.1965 है (अनुलग्नक–5) और अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहा है। अपीलार्थी की सेवानिवृति में लगभग 15 माह की समयावधि शेष है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना अनुचित व अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्पा मेहता बनाम राज्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी की दो वर्ष से कम सेवानिवृति में समय हो तो ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जाय और ऐसे स्थानान्तरण किया जाना अनुचित व अवैध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राज्य सेवा (जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष) का अधिकारी है तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय आसपुर–डूंगरपुर में वर्ष 2021 से अनवरत कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध वित्तीय अनियमिता तथा भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मंत्री शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत हुई। उक्त शिकायत पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा ए.पी.ओ. कर विस्तृत जॉच करने के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विशिष्ठ सहायक, मंत्री शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 11.03.2024 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को पत्र जारी किया गया। प्राप्त निर्देशों के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के आलोच्य आदेश दिनांक 19.03.2024 के द्वारा

अपीलार्थी कार्मिक को तत्काल प्रभाव से ए.पी.ओ. किया गया एवं पत्रांक 7042 दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायत की विस्तृत जॉच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव उपलब्ध करवाये जाने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देश प्रदान किये गये। प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायत प्राप्त होने से जांच अवधि में कार्मिक को उसके पदस्थापन स्थान पर रखना उचित नहीं है क्योंकि जांच प्रभावित होने की पूर्ण आशंका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 को याचिकार्थी पुष्कर राज माली द्वारा डीबी स्पेशल अपील संख्या 733/2022 पुष्कर राज माली बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष चुनौती प्रदान की गई, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज/अपास्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह भी आधार लिया गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता है परन्तु यहाँ माननीय अधिकरण के पुनः समक्ष प्रकट किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी कार्मिक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जाँच कार्यवाही संपादित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपीलार्थी कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी माननीय राजस्थान उच्च की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के आलोक में माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है साथ ही माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 87/2024 प्रदीप कुमार चौधरी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–आर/4) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के अनुक्रम में अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील भी खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसपुर, डूंगरपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमिताए बरतने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच प्रभावित नहीं हो, इस प्रयोजन से आलौच्य आदेश द्वारा एपीओ किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2021 से निरंतर पदस्थापित

है। यह सही है कि नियम 25ए आरएसआर में एपीओ किए जाने हेतु परिस्थितियां/कारण अंकित है जिन दशाओं में सामान्यत एक लोक सेवक को एपीओ रखा जाता है परन्तु इनसे इतर परिस्थितियों में भी लोकहित में यदि किसी कार्मिक को प्रशासनिक कारणों से एपीओ किया जाता है तो यह नियम विरूद्ध नहीं होगा। इस प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायत की विस्तृत जॉच करने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देश प्रदान किये गये। अपीलार्थी लम्बी अवधि से वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रभावित नहीं हो इस दृष्टि से प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 733/2022 पुष्कर राज माली बनाम राज्य व अन्य को चुनौती दी गई और आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा अपील को खारिज फरमाया गया, जो निम्नांकित है :–

> *"Learned counsel for the appellant has also argued that under Rule 25-A of the Rajasthan Service Rules, 1951, the appellant can be kept APO only in certain contingencies and not for the reason that a departmental inquiry has been initiated against him or that he has not been allowed to take charge or on the ground that here is a dispute with regard to his taking over charge at the transferred place. The Government decisions referred in Rule 25-A are not exhaustive rather they are the instances wherein usually a Government servant can be kept under awaiting posting orders.*
>
> *In view of the aforesaid facts and circumstances, we do notfind any illegality in the judgment and order passed by the writ court. The appeal lacks merit and is dismissed."*

अपीलार्थी राज सेवा का अधिकारी है और स्वयं के पद का दुरूपयोग एवं उसके विरूद्ध प्रस्तावित जांच को प्रभावित करने की आशंका से अपीलार्थी को प्रशासनिक आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उचित एवं नियमानुसार प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के तर्क में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य